बिहार–सरकार

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, समस्तीपुर

पत्रांक 2186 / समस्तीपुर, दिनांक 05/10/24 /

प्रेषक–

कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, समस्तीपुर।

सेवा में,

आशीष कुमार
ग्राम–वीरसिंहपुर
थाना–कल्याणपुर
जिला–समस्तीपुर–848102

विषय– शीर्ष–MMGSY SC योजनान्तर्गत विरेन्द्र राम के घर के नजदीक से लालधारी राम के घर तक में लगे **ATR** को Satisfactory Regrade करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक कहना है कि विभागीय निदेशानुसार माह सितम्बर 2024 में सहायक अभियन्ता द्वारा पथों के निरीक्षण हेतु BRRMS App के Login ID पर Regular Maintenance Roads Inspection की सूची में आपके द्वारा एकरारित पथ विरेन्द्र राम के घर के नजदीक से लालधारी राम सम्मिलित था। आज दिनांक 28..09.2024 को State MIS के अवलोकन से ज्ञात हुआ है कि सहायक अभियन्ता द्वारा उल्लेखित पथ को निरीक्षणोपरान्त U (UnSatisfactory) श्रेणी में रखा गया है।

उक्त आलोक में आपको अवगत कराना है कि विभाग द्वारा नामित किसी भी निरीक्षणकर्ता द्वारा पथों के निरीक्षणोपरान्त पथ को SRI एवं Unsatisfactory श्रेणी में रखे जाने के उपरांत पथ से संबंधित किसी भी प्रकार का भुगतान प्रमण्डल कार्यालय द्वारा नहीं किया जायेगा एवं अन्य दण्डात्मक कार्रवाई भी की जायेगी।

उपरोक्त परिस्थिति में आपको निदेशित किया जाता है कि संबंधित सहायक अभियन्ता से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क स्थापित कर 10(दस) दिनों के अन्दर पथ को संतोषजनक श्रेणी (Satisfactory Regrade) में लाये जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय। अन्यथा विभागीय निदेश के आलोक में बाध्य होकर बिहार ठिकेदारी पंजीकरण नियम (ग्रामीण कार्य विभाग) 2007 के नियम–11 के आलोक में आपके निबंधन को काली सूची में डालने एवं निबंधन को निलंबन हेतु अनुशंसा भेजने की कार्रवाई की जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रा०का०वि०, कार्य प्रमण्डल,
समस्तीपुर

5/10/2024